

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत कुनीगाड़ हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार ( रामपुर-कुनीगाड़ मोटरमार्ग का विस्तार ) का कार्य 2.00 किमी०।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है

सहायक अभियन्ता  
वि०ख०ली०नि०वि०  
रानीखेत

प्रयोगकर्ता अभियन्ता  
नि०ख०, ली०नि०विभाग  
रानीखेत

अनुभाग अधिकारी  
जीरासा वनक्षेत्र (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्र अधिकारी  
जीरासा वन क्षेत्र  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा  
प्रभागीय वनाधिकारी